

कैशरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान (K.G. Institute for Social Welfare) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम कैशरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान (K.G. Institute for Social Welfare) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है च रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सिंगनौर, बुन्देलखंड (राज्य) तथा कार्यक्षेत्र:- राजस्थान राज्य है तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. हर उम्र के वयस्क और बच्चों के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास की उत्थान के लिए करना।
2. शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओं और शैक्षिक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देना और अकरत बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों प्रदान करना और निर्वहन एवं अकरत बच्चों या व्यक्तियों के उत्थान, जीवसुख के लिए दवाइयों और अन्य सहायता और निर्वहन वर्ग के किसी भी व्यक्ति के वित्तीय उत्थान की व्यवस्था और प्रबंधन करना।
3. राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐसे अन्य पर्व और जयन्तियों, जो इस उद्देश्य के पूरक हों, के आयोजनों के लिए सहायता करना, उनका इन्तजाम करना और प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना।
4. चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्रों और चिकित्सीय उपचार की सभी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में लगाकर चिकित्सा अनुसंधान करना ताकि उत्तम तरीके से चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

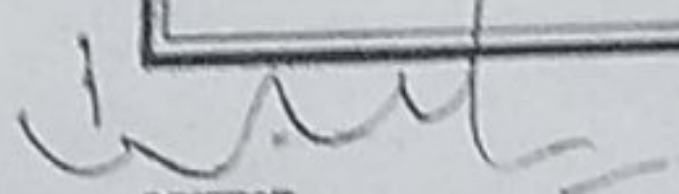
अध्यक्ष

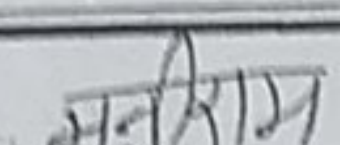
मन्त्री

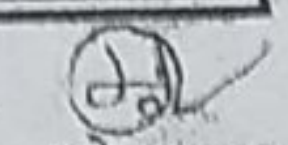
कैशरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

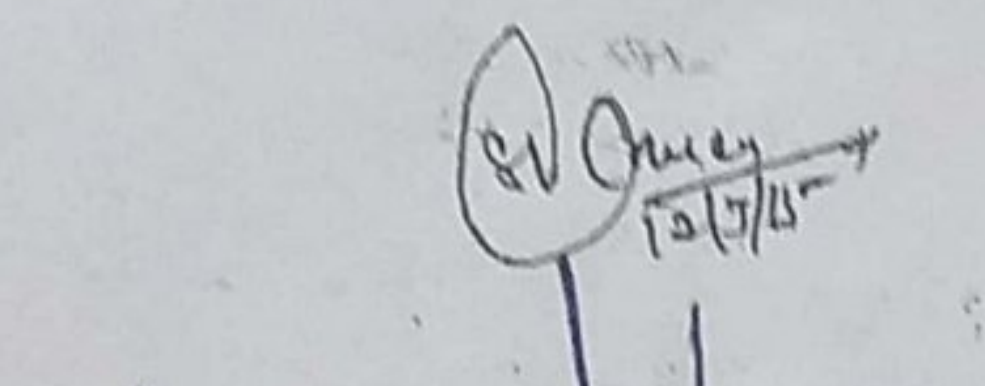
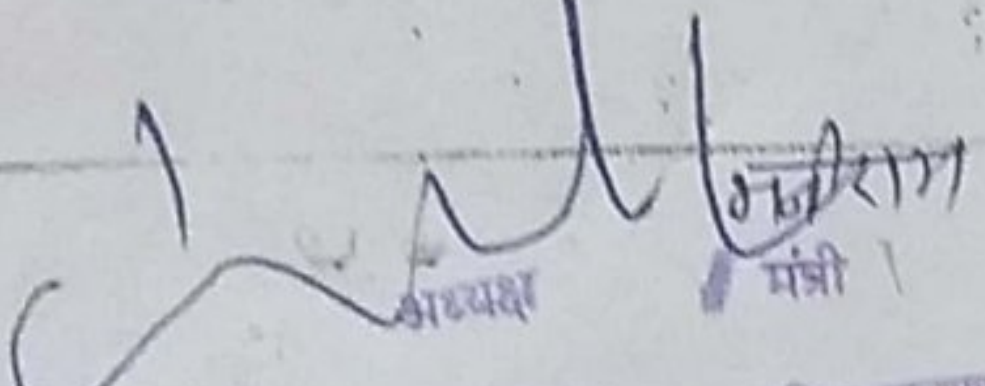
1. विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पारित करना, स्थापित करना, चलाकर करना / संशोधन करना और भाग लेना के उपयोग और कारगरता के लिए सामुदायिक हस्तों, सीमांत, पूर्व विधिसालकों, पुनर्वासियों और अन्य समूहों से सहायता का विमोचन करना और विकास करना।
2. (क) कोश में अंतर्गत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, शीघ्र उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, आनुवंशिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, महामहिम, प्रदर्शन, करना, स्थापित करना, चलाकर, अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।
3. शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विचारों में अनुसंधान करना।
4. (ख) आनुवंशिक, कार्यकारी, और शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यान, निबंध, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और गोष्ठीयों द्वारा सामुदायिक और अन्य सामाजिक विकास करना।
5. (ग) कोश में कार्य निष्पादन करना जो आवश्यक हो और कोश की किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आनुवंशिक या सहयोगी हो।
6. (घ) ऐसा कोई अन्य कार्य या चीज करना जो ऊपर बताये गये उद्देश्यों में से किसी को भी सहयोगी हो।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष


अध्यक्ष

सचिव

गैंगू देवी गोदादा सामाजिक कल्याण संस्थान

केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण

समिति सोसाइटी संस्थान संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्था
(K.G. Ashok for Social Welfare) समिति सोसाइटी संस्थान संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सिंगापुर, सुन्दर (राज)
तथा कार्यक्षेत्र:- राजस्थान राज्य है
तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. ① हर उम्र के बच्चों और बच्चों के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास की अभिवृद्धि और उत्थान करना।
2. ② शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओं और शैक्षिक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देना और जरूरतमंदों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने सहित निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों या व्यक्तियों के उत्थान के लिए दवाइयों और अन्य सहायता प्रदान करना।
3. ③ राष्ट्रीय सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐसे अन्य पर्वों और आयोजनों जो इस उद्देश्य के पूरक हों, के आयोजनों के लिए सहायता करना, उनका इंतजाम करना और प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना।
4. ④ चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्रों और चिकित्सीय उपचार की सभी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में लगाकर चिकित्सा अनुसंधान करना ताकि उत्तम तरीके से चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

13

अध्यक्ष

मनीराम
मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

7. विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करना, स्थापित करना, प्रोन्नत करना/सहपाता करना और आम जनता के उपयोग और कल्याण के लिए सामुदायिक हॉल, शौचालय, पूर्व चिकित्सालय, पुस्तकालय और अन्य भवन, संस्थानों का निर्माण करना और विकास करना।
8. बच्चों को ठीक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, स्त्रीतिय उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर विद्यालय व महाविद्यालय प्रारंभ करना, स्थापित करना, चलाना अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।
9. शिक्षा और शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विद्यालयों में अनुसंधान करना।
10. जागरूकता कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और सेमिनारों द्वारा साक्षरता, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना।
11. ऐसी अन्य नए/कार्य क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हों और सोसल्टी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए
12. अनुषंगिक या सम्बन्धित।
13. ऐसा कोर अन्य कार्य या रोज़ करना जो ऊपर बताये गये उद्देश्य में से किसी को प्रबन्धयोगी हों।
14. ऐसा कोर अन्य कार्य या रोज़ करना जो ऊपर बताये गये उद्देश्य में से किसी को प्रबन्धयोगी हों।
15. ऐसा कोर अन्य कार्य या रोज़ करना जो ऊपर बताये गये उद्देश्य में से किसी को प्रबन्धयोगी हों।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाली व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेगी :-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करती हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पामल, दीव्यालिनो न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि न आस्था रखती हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझती हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- ☒ 1- संरक्षक
- ☒ 2- विशिष्ट
- ☒ 3- सम्माननीय

4- साधारण

(जो लाभ न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों को प्रदत्त व चन्द :-

अनुपिनयम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- 1- संरक्षक राशि..... वार्षिक/आजन्म
- 2- विशिष्ट राशि..... वार्षिक/आजन्म
- 3- सम्माननीय राशि..... वार्षिक
- 4- साधारण राशि 10000/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. २२५२७ की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1- मृत्यु होने पर
- 2- त्याग-पत्र देने पर
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

केसर देवी गोदार सामाजिक कल्याण संस्थान

एक प्रस्ताव के विचारण की अवधि 10 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में अवैध करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु बैठक सम्पन्न होगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

8. साधारण सभा :- संस्था के उपाध्यक्ष अथवा 5 से अधिक सदस्य प्रस्ताव के उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा को निर्वाह करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कार्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कार्य होंगे :-

1- प्रस्तावों का पुराना करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रस्तावों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं।

(जो संविधान के प्राधिकार में संशोधन अथवा प्रस्तावित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठक :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक आयोजित होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी बुलाया जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पर्यन्त निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये - 1 पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य भोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

मंत्री

केन्द्र वेरी मोबाइल सम्पर्क जानकारी संस्थान

11. कार्यकारिणी
का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मंत्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें।
कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व
..... 15 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का
निर्वाचन :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के
अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

केशर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।



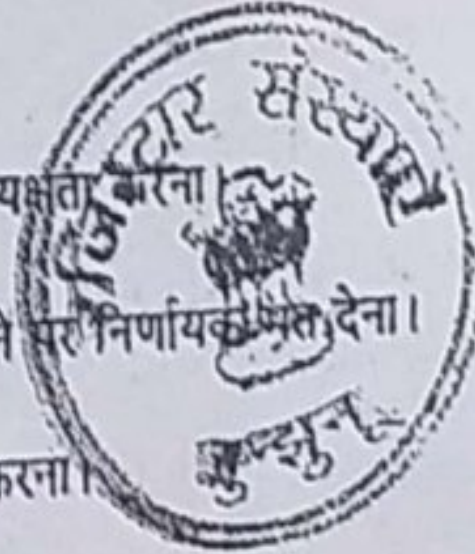
4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।



2-उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
कै. ए. पी. मोदी सामाजिक कल्याण संस्थान

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व खाता बिल आदि पास करना।

5- संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संख्या की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपनिधी

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्रत्येक रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

मन्त्री

अध्यक्ष

लेखा देवी सेवा समिति का संस्थापक

17. कोष सम्बन्धी 19/12/2014 संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मशत स्वीकृत कर सकेंगे :-
1. संस्था का पंजीयन शुल्क
2. संस्था का नाम
3. किरम तस्तावेज
4. दरताओं की संख्या
5. दिनांक पंजीयन 19/12/2014
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्था
- 2-मन्त्री 4,00,000/- रु.
- 3-कोषाध्यक्ष 3,00,000/- रु.

रजिस्ट्रार संस्था

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाओं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त धन व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाओं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्था को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

मन्त्री

मन्त्री

20

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्था

अध्यक्ष

अध्यक्ष

केसरदेवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान

नवीन प्रबन्ध कार्यकारिणी

दिनांक 24/02/2019

सं. 17

(मंत्री)

अवयव

केशर देवी गोदावा सामाजिक कल्याण संस्थान

कोषाध्यक्ष

मन्नीराम
सहित